प्रेषक,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

2— समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—38122-123 /वसूली/17—18 दिनांक: 05.05.17

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में एक लाख से बड़े बकायेदारों की संख्या—103209 है जिन पर बैंक का कुल रू0 2023.17 करोड़ बकाया है। इन बकायेदारों के विरूद्ध वसूली वर्ष 2016—17 की अवशेष अवधि यथा दिनांक 30.06.17 तक बैंक द्वारा विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत उ0प्र0 शासन द्वारा रू0 एक लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध वसूली हेतु निर्गत निर्देशों के अर्न्तगत कार्यवाही भी की जाती है, जिसके कारण बैंक कार्मिक एवं बकायेदारों के मध्य कतिपय समस्यायें आती है जिनके निराकरण हेतु पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद के सम्बन्धित जनपदीय शाखा प्रबन्धकों/शाखा प्रबन्धकों के द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें यथावश्यक पुलिस बल एवं अन्य सहयोग प्रदान कराने का कष्ट करें, ताकि बैंक की वसूली में आशातीत प्रगति हो सके और वसूली की प्रक्रिया के दौरान किसी विवाद से बचा जा सके।

(हरिराज किशोर)
आयुक्त एवं निबन्धक

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1—समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

2— समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को इस निर्देश के साथ कि अपने जनपद/मण्डल के भ्रमण के समय शाखावार, इस स्थिति की समीक्षा कर लें और आवश्यकतानुसार स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी से सम्पर्क कर इस प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

3—उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आयुक्त एवं निबन्धक